

रजिस्ट्री सं. डी.एल.-33002/99

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

REGISTERED No.D.L-33002/99

दिल्ली



राजपत्र

सत्यमेव जयते

Delhi Gazetteअसाधारण
EXTRAORDINARYप्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITYसं. 188]
No. 188]दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 5, 2008/ अग्राहायण 14, 1930
DELHI, FRIDAY, DECEMBER 5, 2008/AGRAHAYANA 14, 1930[रा.रा.क्षे.दि.सं. 259
[N.C.T.D. No. 259

भाग- IV

PART-IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

महिला एवं बाल विकास विभाग

DEPARTMENT OF WOMEN AND CHILD
DEVELOPMENT

अधिसूचना

NOTIFICATION

दिल्ली, 5 दिसम्बर, 2008

Delhi, the 5th December, 20

फा. सं. 61 (सीडब्ल्यू सी कमि.)/एडी- I/ डीडब्ल्यू सीडी/ 2008-09/बोल.- I/30536-571.- किशोर न्याय (बाल देखभाल एवं संरक्षण) अधिनियम, 2000 (2000 का 56) की धारा 29, की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तथा उपरोक्त अधिनियम की धारा 66 के अधीन 26 मार्च, 2003 की अधिसूचना संख्या फा. 61(2)/डीओ-आई/डीएसडब्ल्यू/2001/2832-2891 के अनुसार प्रत्यायोजित शक्तियों के अनुसरण में, मैं, देबाश्री मुखर्जी, सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, एतद्वारा बाल कल्याण समिति, मयूर विहार वर्तमान सदस्यों का कार्यकाल दिनांक 7-12-2008 से तीन वर्षों की अवधि के लिये एक और कार्यकाल बढ़ाती हूँ। एतद्वारा यह समिति श्री वाई. पी. ओबराय की अध्यक्षता में पुनर्गठित की जाती है। बाकी सदस्य वही रहेंगे।

F. No. 61 (CWC Comm.)/AD-I/DWCD/2008-09/Vol.- I/30536-571.- In exercise of the powers conferred by Sub-section (I) of Section 29 of the Juvenile Justice (Care & Protection of Children) Act, 2000 (56 of 2000) and in pursuance of the power delegated vide Notification No. F. 61(2)/DO-I/DSW/2001/2832-2891 dated the 26th March, 2003, under Section 66 of the aforesaid Act, I Debashree Mukherjee, Seretary, Women and Child Development, Government of National Capital Territory of Delhi, hereby Extend the tenure of the existing members of the Child Welfare Committee, N.P. School for Deaf, Phase-I, Near Delhi Police Appt., Mayur Vihar, New Delhi for one more tenure of three years w.e.f. 07-12-2008. the Committee hereby stands reconstituted under the Chairmanship of Shri Y.P. Oberoi.

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली के उपराज्यपाल के
आदेश से उनके तथा उनके नाम पर,
देबाश्री मुखर्जी, सचिव

By Order and in the Name of the Lt. Governor
of the National Capital Territory of Delhi
DEBASHREE MUKHERJEE, Secy.

**समाज कल्याण विभाग
एवं
महिला एवं बाल विकास विभाग
अधिसूचना
दिल्ली, 5 दिसम्बर, 2008**

फा. सं. 17/डीजी/अधि./वीएसी/डीडब्ल्यूसीडी/2008.09/30496-535/फा.सं. 73(46) 68-75/डी.एस.डब्ल्यू-पूर्व दिल्ली प्रशासन की दिनांक 20 सितम्बर, 1996 की अधिसूचना सं. फा. 19(33)/65-वि. द्वारा अधिसूचित दिल्ली समाज कल्याण संस्थानों/संगठनों को अनुदान नियमावली, 1975 के अधिकमण में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल इसके द्वारा दिल्ली में समाज कल्याण कार्यों में लगे स्वैच्छिक समाज कल्याण संस्थानों/संगठनों को सहायता अनुदान प्रदान करने हेतु कार्य को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं।

1. संक्षिप्त शीर्षक, प्रारम्भ एवं प्रयोजनीयता:-

(i) ये नियम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में समाज कल्याण संस्थानों/संगठनों को अनुदान नियमावली, 2008 कहे जायेंगे।

(ii) ये नियम तत्काल प्रभावी होंगे।

(iii) **प्रयोजनीयता:**

(क) ये नियम जरूरतमंद व्यक्तियों को छोटी विवेकाधीन अनुदानों पर लागू नहीं होंगे जिनके लिए पहले ही नियम विद्यमान हैं तथा जो संस्थानों/संगठन राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में स्थित नहीं हैं।

(ख) इस नियमावली के अंतर्गत सहायता अनुदान केवल ऐसे संस्थानों/संगठनों या उनकी मूल निकाय को स्वीकृति की जायेगी जो सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का XXI) या ब्यास अधिनियम, 1882 (1882 का 2) के अंतर्गत पंजीकृत हैं। तथापि यह ऐसे संस्थानों पर लागू नहीं होगा जिनका सृजन विशेष रूप से संसदीय कानून या राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के आदेश से हुआ हो।

2. **अनुदान का वर्गीकरण एवं उद्देश्य:-** इस नियमावली के अंतर्गत संस्वीकृत अनुदान को निम्नलिखित रूप में वर्गीकृत किया जायेगा।

(क) गैर आवर्ती व्यय मदों के लिए अनुदान:-

- (i) नये भवन का निर्माण या किसी संस्थान के वर्तमान भवन में विस्तृत प्रकार का निर्माण/परिवर्तन;
- (ii) सामान्य उपकरण एवं फर्नीचर की खरीद;
- (iii) औद्योगिक एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए संयंत्रों तथा मशीनरी की खरीद हेतु;
- (iv) आवर्ती स्वरूप की छोटी मदों को छोड़कर चिकित्सा या सर्जिकल उपकरणों की खरीद हेतु;
- (v) बिजली स्थापना या जलपूर्ति की व्यवस्था जिसमें सुधार तथा उनका विस्तार भी शामिल है।

(ख) आवर्ती व्यय मदों के लिए अनुदान:-

- (i) संवासियों के सामान्य रखरखाव के लिए जिसमें उनका भोजन, वस्त्र, अल्पाहार, चिकित्सा सहायता तथा शिक्षा सम्मिलित हैं:

- (ii) संवासियों के लिए पुस्तकों, लेखन सामग्री तथा अन्य शैक्षणिक सामग्री की खरीद हेतु;
- (iii) संस्था के पुस्तकालय हेतु पुस्तकों, पत्रिकाओं तथा समाचार-पत्रों की खरीद हेतु;
- (iv) संवासियों के औद्योगिक एवं व्यवसायिक प्रशिक्षण हेतु कच्चे माल की खरीद हेतु;
- (v) स्वैच्छिक संगठनों को न्यूनतम प्रशिक्षित कार्मिक व्यवस्था तथा अपनी कार्य प्रणाली को सुधारने तथा गतिविधियों में विस्तार हेतु प्रशासनिक व्यय के लिए:
बशर्ते कि यह अनुदान संबंधित स्वैच्छिक संस्थान के कर्मियों के वेतन एवं भत्तों के अनुमोदित प्रशासनिक व्यय के पच्चीस प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।
- (vi) भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार वे स्कीमें जो अंशतः भारत सरकार द्वारा तथा अंशतः राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा निधिबद्ध की जायेगी तथा कुछ अंशदान गैर सरकारी संगठनों द्वारा होगा;
- (vii) खेल कूद सामग्री की खरीद के लिए;
- (viii) दवाइयों तथा हल्के उपकरण / यंत्र खरीदने के लिए:-
- (ix) भवन किराया, बिजली पानी प्रभार, ठंडे गर्म मौसम के खर्च, डाक खर्च, टेलिफोन प्रभार सवारी प्रभार, वर्दी तथा भवन की समय-समय पर मरम्मत जिसमें दीवारों पर सफेदी, दरवाजों पर रंगाई आदि शामिल है तथा वेतन एवं भत्तों, स्थापना एवं कार्यालय खर्च आदि शामिल है, के फुटकर खर्चों के लिए;
- (x) कोई अन्य आकस्मिक खर्च जिसका व्यय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के पूर्वानुमोदन से किया गया हो।
- (ग) आवर्ती खर्च पर सहायता अनुदान कुल खर्च के नब्बे प्रतिशत से अधिक प्रदान नहीं किया जायेगा।
- (घ) उपरोक्त कुछ भी वर्णित होते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (इसके पश्चात सरकार कहा गया है) निजी सरकारी हिस्सेदारी, भागीदारी या अन्य विधियों द्वारा अनुमोदित प्लान में तय अनुदान प्रदान कर सकती है।

3. अनुदान का परिमाण:-

(क) गैर आवर्ती व्यय की मदों के लिए अनुदान:-

- (i) नये भवनों के निर्माण, वर्तमान भवन में बढ़ोत्तरी तथा परिवर्तन या मशीनों तथा उपकरणों की खरीद आदि पर पूंजीगत खर्च के अनुदान की राशि कुल व्यय का पचहत्तर प्रतिशत से अधिक नहीं होगी। यदि कोई संस्थान भवन के उपकरण की मद निःशुल्क प्राप्त करता है तो इसका मूल्यांकन किया जायेगा तथा भवन को सामान प्रदान करने की राशि घटाई गई राशि के आधार पर होगी। भवन के निर्माण की लागत का पूर्वाकलन भी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के लोक निर्माण विभाग के अनुमोदन के अनुसार होगा। प्रस्तावित भवन के साइट प्लान भवन के शामिल किए जाने वाले स्थान का विस्तृत संकेत वाला कच्चा रेखाचित्र तथा निर्माण व्यय का पूर्वाकलन के एक-एक प्रति लोक निर्माण विभाग राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार को जमा करनी होगी;
- (ii) भवन के अनुदान की पचास प्रतिशत राशि कार्य प्रारम्भ होने से पहले तथा शेष पचास प्रतिशत भवन को अधिवास के लिए दुरुस्त घोषित किए जाने समय प्रदान की जायेगी। अनुदान की दूसरी किस्त केवल तभी प्रदान की जायेगी, जब लोक निर्माण विभाग प्रमाणित करेगा कि कार्य प्लान के अनुसार किया गया है तथा संपूर्ण खर्च सरकार द्वारा अनुमोदित उद्देश्य के लिए अनुमानित लागत से कम नहीं हुआ है;

- (iii) किसी संस्था के भवन के निर्माण हेतु अथवा वर्तमान भवन में अतिरिक्त वृद्धि/परिवर्तन करने जैसे महत्वपूर्ण स्वरूप के निर्माण कार्य हेतु गैर आवर्ती सहायता अनुदान के मामले में स्वीकृत करने वाले प्राधिकारी को भवन के स्वामित्व के मामले के संबंध में सामान्य वित्तीय नियमावली के नियम 209 (6) (vi) के उपबंधों को ध्यान में रखना चाहिए जिसमें निम्नलिखित व्यवस्था है—

स्वीकृति प्रदान करने वाला प्राधिकारी सहायता के पैटर्न को निर्धारित करते समय यह निर्णय ले सकता है कि सहायता अनुदान से निर्मित भवनों का स्वामित्व सरकार अथवा अनुदानग्राही संस्था अथवा संगठन में निहित है।

जहाँ स्वामित्व सरकार में निहित है, अनुदानग्राही संस्था या संगठन को बिल्डिंग पट्टेदार के रूप में कब्जा करने की अनुमति दी जा सकती है। ऐसे मामलों में अनुदान देने वाले मंत्रालय या विभाग के रिकार्ड में लोकेशन का विवरण, लागत पट्टेदार का नाम तथा पट्टे की निबंधन एवं शर्तों का उचित रिकार्ड रखा जाना चाहिए। सहायता अनुदान से निर्मित बिल्डिंग के सभी मामलों में रखरखाव का दायित्व अनुदानग्राही संस्था या संगठन का होगा।

(ख) आवर्ती व्यय की मदों के लिए अनुदान—

- (i) शारीरिक एवं मानसिक रूप से विकलांग तथा अन्य संस्थाओं के लिए संस्थाओं के मामले में गैर-आवासीय संस्थाओं के आवर्ती व्यय के अनुदान लिए अनुमोदित राशि मान्य मदों पर कुल खर्च की 90% से अधिक नहीं होगी।

बशर्ते व्यय का शेष हिस्सा चंदा तथा दान तथा अन्य विभिन्न प्राप्तियों द्वारा उगाही निधि से संस्था द्वारा वहन किया जाये। संस्था अपनी निधि से कम से कम दस प्रतिशत निधि उपलब्ध कराएगी और जोकि किसी सरकारी निकाय के अनुदान से नहीं होगा।

- (ii) आवासीय संस्थाओं के रखरखाव के लिए आवर्ती व्यय के लिये अनुदान अनुमोदित मदों पर कुल व्यय का नब्बे प्रतिशत तक सीमित होगा या प्रतिमाह प्रति निवासी केवल पांच सौ रुपये या समय-समय पर सरकार से संशोधित इसमें से जो कम हो। संस्था की सहायता अनुदान के प्रमात्रा की गणना पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान संस्था द्वारा अनुरक्षित निवासी की प्रतिमाह औसत संख्या के आधार पर की जायेगी।

- (iii) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार समाज कल्याण विभाग एवं महिला तथा बाल विकास विभाग प्रत्येक वर्ष प्रत्येक संस्था क लेखा की जांच करेगा कि जिस उद्देश्य से सहायता अनुदान की राशि दी गई है उसका पूरा उपयोग हो रहा है या नहीं और यदि कोई अप्रयुक्त राशि बची है तो उसे संस्था से वसूला जाए या उसे आगे ले जाया जाए जैसा मामला हो। एक लाख रुपये से की सहायता अनुदान की लेखा परीक्षा समाज कल्याण तथा महिला एवं बाल विकास विभाग, सरकार द्वारा विभाग की आंतरिक लेखा विभाग परीक्षा द्वारा लेखा परीक्षा की जाएगी और एक लाख रुपये से ज्यादा की स्थिति में इसकी लेखा परीक्षा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सरकार के स्थानीय निधि लेखा परीक्षक द्वारा की जायेगी।

नोट:— केवल ऐसी अनुदान राशि को प्रयुक्त माना जायेगा जोकि उपरोक्त नियम 3 (बी) (i) तथा (ii) के अनुसार देय पाई जायेगी।

- 4 इन नियमों के नियम 3 के अन्तर्गत निर्धारित अनुदान की अधिकतम राशि दर्शाता है जोकि सरकार द्वारा स्वीकृत किया जा सकता है कोई भी संस्था इस नियम के अन्तर्गत अनुमत अनुदान की अधिकतम राशि का दावा करने का अधिकार नहीं रखती है।

5. सरकार की नीति है कि वो अनुदानग्राही संस्था को अपनी वित्तीय स्थिति में आत्म निर्भर बनें और इसके मददे नजर प्रत्येक तृतीय वर्ष में संस्था को दी जाने वाली अनुदान की समीक्षा की जाएगी। यदि वर्ष के दौरान अनुदान का कोई भी हिस्से का दुरुपयोग या अप्रयुक्त पाया जाता है तो नियम 3 (बी) (iii) के अन्तर्गत संस्था से वसूला जाए।
6. इन नियमों के अन्तर्गत दिया गया अनुदान गत दायित्व या डूबी रकम के भुगतान हेतु नहीं किया जाएगा।
7. भुगतान का तरीका - इन नियमों के तहत सहायता अनुदान ऐसे अंतराल तथा ऐसी किश्तों में जारी किया जाएगा जोकि तीन किश्तों से ज्यादा में नहीं होगा और जिसका निर्णय सचिव, समाज कल्याण तथा महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा किया जाए। प्रत्येक वर्ष 30 सितम्बर तक लिया गया हो। प्रधान कार्यालय में मई एवं जून माह के दौरान विभाग द्वारा जारी विज्ञापन के बाद गैर सरकारी संगठनों द्वारा ये आवेदन जमा कराए जाएंगे।
8. अनुदान हेतु आवेदन:- (1) (उपरोक्त नियमों के तहत) आवर्ती एवं गैर अनावर्ती खर्च के लिए अनुदान हेतु आवेदन उपरोक्त नियमों के तहत सहायता अनुदान के लिए आवेदन पत्र निदेशक, समाज कल्याण विभाग/बाल विकास विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के परिशिष्ट में दर्शाए गए प्रपत्र वर्ष 30 सितम्बर तक जमा किया जा सकता है। ये आवेदन विभाग द्वारा मई-जून माह के दौरान जारी किये गये विज्ञापन के पश्चात गैर सरकारी संगठनों द्वारा प्रधान कार्यालय में जमा करवाया जा सकता है।

गैर सरकारी संगठन द्वारा संचालित परियोजना का निरीक्षण प्रधान कार्यालय के जिला अधिकारी/सी डी पी ओ/ डब्ल्यू ओ/ किसी अन्य अधिकारियों द्वारा किया जाएगा जैसा कि संबंधित संयुक्त निदेशक द्वारा निर्देशित है। संबंधित अधिकारी को आवेदन मार्क करने की तिथि से एक सप्ताह के अंदर जी आई ए योजना प्रधान कार्यालय में जमा कराई जायगी। ये मामले बाद में स्वैच्छिक कारवाई सेल द्वारा जी आई ए समिति के समक्ष प्रस्तुत किए जाएंगे जिसमें निम्न सम्मिलित होंगे:-

निदेशक समाज कल्याण / महिला एवं बाल विकास विभाग	अध्यक्ष
संयुक्त निदेशक समाज कल्याण / महिला एवं बाल विकास विभाग	सदस्य
वरिष्ठ लेखा अधिकारी समाज कल्याण / महिला एवं बाल विकास	सदस्य
अधीक्षक आर्थिक सहायता अनुभाग	सदस्य-सचिव

स्वीकृति अधिकारी-सचिव समाज कल्याण / डब्ल्यू सी डी 5.00 लाख रुपये तक का जी आई ए स्वीकृत कर सकता है। बशर्त सामान्य वित्तीय नियमों के अन्तर्गत निर्धारित शर्तें हों और समय-समय पर वित्त विभाग द्वारा अनुदेश जारी किए गये हों।

वित्त विभाग की सहमति-जब जी आई ए 5.00 लाख रुपये से ज्यादा का हो तो मामले को अनुमोदन/स्वीकृति हेतु राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के वित्त विभाग को भेजा जाएगा ताकि दिल्ली अनुदान नियम के अन्तर्गत निर्धारित तरीके से भुगतान किया जा सके।

आवेदन प्रपत्र में मांगी गई निर्धारित सूचना के अलावा आवेदन के साथ निम्नलिखित दस्तावेज होने चाहिये:-

- (i) गत वित्तीय वर्ष के लेखा का लेखपरीक्षित विवरण;
- (ii) गत वर्ष के दौरान प्राप्त अनुदान के संबंध में उपयोगिता प्रमाण पत्र;

- (ii) चालू वर्ष के आय एवं व्यय का अनुमोदित प्राक्कलन;
 - (iv) वर्ष के कार्यकलापों का संक्षिप्त नोट;
 - (v) गत वर्ष की निष्पादन रिपोर्ट कार्यकलाप के अनुसार।
- (2) बिल्डिंग के लिए अनुदान के आवेदन के साथ बिल्डिंग स्थल की उपलब्धता का विवरण एवं अनुमोदित प्लान एवं प्राक्कलन इसी प्रकार उपकरणों की खरीद के लिए अनुदान हेतु देते हुए संस्था को स्वयं के स्रोतों से बराबर का योगदान उगाहने की क्षमताओं को प्रमाण भी देना होगा। आवेदन के साथ खरीदे जाने वाले प्रस्तावित उपकरणों का सम्पूर्ण विवरण होने के साथ उनके औचित्य का पूर्ण विवरण व लागत का प्राक्कलन साथ होना आवश्यक होगा।
- 9 अनुदानग्राही संस्था द्वारा समाज कल्याण / महिला तथा बाल विकास विभाग को तथ्यों के दमन, गलतबयानी तथा भ्रामक बयान प्रस्तुत करने पर विभाग / सरकार द्वारा उचित कार्रवाई के अलावा संस्था को आगामी अनुदान से वंचित रखा जा सकता है और ऐसे झूठे विवरण या गलत बयानी के लिये संस्था से अनुदान को वापस भी मांग सकता है।
- 10 अनुदान की स्वीकृति से पूर्व संस्था / संगठन को गत तीन वर्षों के दौरान की अपने उद्देश्य, तथ्य एवं वित्तीय स्थिति से सरकार को संतुष्ट करना होगा। संस्था निरीक्षण हेतु समाज कल्याण तथा महिला एवं बाल विकास विभाग या अन्य किसी अधिकारी द्वारा जिसे निदेशक (समाज कल्याण / महिला एवं बाल विकास) या सरकार द्वारा प्राधिकृत किया गया हो, सदैव तत्पर रहेगा।
- 11 बॉण्ड-(1) अनुदान जारी करने से पूर्व, अनुदानग्राही संस्था की कार्यकारिणी समिति के सदस्य निर्धारित प्रपत्र में बॉण्ड प्रस्तुत करेंगे कि वे या
- (क) अनुदान की शर्तों का पालन निश्चित तिथियों (जैसा कि बताया गया हो) के अर्न्तगत करेंगे;
 - (ख) अनुदान का अपवर्तन नहीं करेंगे या योजना के निष्पादन या उसके कार्य की जिम्मेदारी किसी अन्य संस्था / संगठन को नहीं सौपेंगी, तथा
 - (ग) सहायता अनुदान को शासित करने वाले अनुबंध में निर्दिष्ट अन्य शर्तों का पालन करना।
- (2) यदि अनुदानग्राही शर्तों को पालन करने में असफल रहता है या बॉण्ड की किसी शर्त को भंग करता है तो बॉण्ड को हस्ताक्षर करने वाला संयुक्त और अलग-अलग रूप से अनुदान की राशि का हिस्सा या पूर्ण राशि 10 प्रतिशत ब्याज के साथ या बॉण्ड में निर्धारित राशि भारत के राष्ट्रपति को वापस करनी होगी। ऐसे बॉण्ड पर व्यय स्टाम्प ड्यूटी का वहन अनुदानग्राही संस्था द्वारा किया जाएगा।
- 12 संगठन को लिखित में पुष्टि करनी होगी कि स्वीकृति पत्र में लिखी शर्तें उन्हें स्वीकार्य हैं।
- 13 संगठन सरकार सहित किसी अन्य स्रोत से इस उद्देश्य के लिए अनुदान प्राप्त नहीं कर सकता है।
- 14 संस्था / संगठन अपने कार्य को सुचारु तथा प्रभावी ढंग से चलाने के लिये अवश्य कर्मचारियों की नियुक्ति कर सकता है।

- 15 संस्था / संगठन, निदेशक समाज कल्याण / महिला तथा बाल विकास राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए कार्य प्रणाली संबंधित सुधारों के सुझावों का पालन करेगी।
- 16 संस्था अपनी कार्य प्रणाली में विशेष रूप से अनुदान के व्यय के संबंध में यथा संभव मितव्ययता बरतेगी। अनुदान शर्तों पर आधारित होगा कि मकान भत्ता, यात्रा भत्ता, दैनिक भत्ता तथा अन्य भत्ते इस तरह के नियंत्रित होंगे जोकि सरकार द्वारा समय-समय पर सरकारी कर्मचारी के स्वीकृत भत्ते से ज्यादा नहीं होगी।
- 17 संस्था किसी जाति, पंथ, धर्म, रंग इत्यादि में भेदभाव बरते बिना सभी भारतीय नागरिकों के लिए खुली रहेगी।
- 18 अनुदान यदि वास्तव में जारी नहीं किया गया है तो उसे कम किया जा सकता है या वापस लिया जा सकता है यदि समाज कल्याण / महिला एवं बाल विकास निदेशक यह समझता है कि इन नियमों में तय शर्तों का उल्लंघन किया गया है या उन्हें पूरा नहीं किया गया है।
- 19 भारत सरकार दिल्ली राज्य समाज कल्याण सलाहकार बोर्ड या राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान से संस्था द्वारा बनाई गई सम्पत्ति को अनुदानग्राही प्राधिकरण की पूर्व अनुमति के बिना स्थानांतरित, बेचा, बंधक या निपटारा नहीं किया जा सकता है। सरकार सभी सम्पत्ति में सह-भागी के रूप में समाविष्ट रहेगी।
- 20 अनुदानग्राही अनुदान के संबंध में अलग लेखा रखेगा। महानियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक भारत सरकार सहित विभाग / सरकार के प्रतिनिधि के निरीक्षण हेतु लेखा खुला रहेगा। वर्ष के समापन पर संगठन अनुदान लेखा की विधिवत् लेखा परीक्षा कराएगी और निम्नलिखित लेखा के संबंध में स्वीकृत अनुदान की प्रति आपूर्ति करेगी:-
 - (क) प्राप्ति एवं भुगतान लेखा
 - (ख) आय एवं व्यय लेखा
 - (ग) तुलन पत्र
 - (घ) उपयोगिता प्रमाण पत्र, तथा
 - (ङ) संगठन का समेकित लेखा जिसमें प्राप्ति एवं अनुदान दर्शाया गया हो को लेखा परीक्षित लेखा के साथ सरकार के समक्ष प्रस्तुत किया जाए।
- 21 सभी अनुदान सामान्य वित्तीय नियम 2005 के अनुसार होंगे जो समयानुसार संशोधित होंगे और उनका लेखापरीक्षा महानियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक भारत / राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के महानिदेशक / समाज कल्याण विभाग / महिला एवं बाल विकास विभाग के आंतरिक लेखा परीक्षक द्वारा किया जाएगा, जैसा भी मामला हो। ऐसे लेखा परीक्षा की लागत संबंधित संस्था द्वारा वहन की जाएगी।
- 22 अनुदानग्राही संस्था वित्तीय वर्ष में अनुमोदित आवश्यकता शीर्षानुसार समाज कल्याण / महिला एवं बाल विकास, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार को मंजूरी हेतु समय रहते आगामी प्रारंभ होने वाले 1 अप्रैल से वित्तीय वर्ष के लिए बजट प्रस्तावित करेगी परंतु यह 30 अक्टूबर के बाद न होगा। बजट की जांच एवं स्वीकृति समिति द्वारा की जाएगी जोकि सचिव समाज कल्याण / महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा विधिवत् अनुमोदित होगी। प्रस्तावित बजट के प्राप्ति के तीन माह के अंदर अनुदानग्राही संस्था को अनुमोदित बजट संचारित कर दिया जाएगा।
- 23 चालू वित्त वर्ष के समापन के बाद अनुदान में से बची शेष राशि संगठन द्वारा तुरंत वापस दी जायेगी।

- 24 चालू वित्त वर्ष के समापन के बाद अनुदान में से बची शेष राशि संगठन द्वारा तुरंत वापस दी जायेगी।
- 25 संस्था / संगठन को पूरा अनुदान या उसका हिस्सा सरकार को वापस करना होगा यदि विभाग यह पाता है कि संस्था / संगठन का रखरखाव उचित नहीं है या अनुदान को उसके उद्देश्य के अनुसार उपयोग नहीं किया गया है। सरकार भारतीय दण्ड संहिता 1860 (1860 का 45) सहित उचित संवैधानिक प्रावधान के अर्न्तगत कोई भी कार्रवाई कर सकती है और संस्था को काली सूची में डाल सकती है।
- 26 यदि इन नियमों के तहत अनुदानग्राही से कोई राशि वसूली जानी है या समझता है कि स्वीकृति का उल्लंघन हुआ है तो उसके पास सहायता अनुदान को रद्द करने का अधिकार है।
- 27 इन नियमों को वित्त विभाग की सहमति प्राप्त है (देखे यू.ओ.सं. एफ. एम./06/965, दिनांक 20.10.2006 एवं 14.03.2008).

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल के
आदेश से तथा उनके नाम पर,
देबाश्री मुखर्जी, सचिव

प्रपत्र-1

समाज कल्याण विभाग से आवर्ती / रखरखाव अनुदान के लिए आवेदन।

राजकीय लेडी न्वाइस स्कूल परिसर, दिल्ली गेट, नई दिल्ली-110002

तथा

महिला एवं बाल विकास विभाग

1-केनिंग लेन, के. जी. मार्ग, नई दिल्ली-110001

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार

वित्तीय वर्ष.....

1. (क) संस्था का नाम
(ख) स्थान एवं पूरा पता
(ग) मूल निकाय का नाम एवं पता यदि कोई हो
2. (क) स्थापन की तारीख
(ख) सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के अधीन पंजीकरण की तारीख तथा पंजीकरण संख्या
(ग) मूल निकाय की स्थापना की तारीख

(घ) सोसायटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के अधीन मूल निकाय के पंजीकरण की तारीख तथा पंजीकरण संख्या

3. शासी / प्रबंध निकाय का गठन (कृपया गठन की प्रति अथवा आवेदक संस्था के सदस्यों एवं पदाधिकारियों की सूची संलग्न करें)
4. संस्था / संगठन के संक्षिप्त उद्देश्य एवं लक्ष्य तथा इसकी वर्तमान गतिविधियों का स्वरूप
5. क्या सेवा समस्त जातियों एवं धर्मों के लिए खुली है
6. नियुक्त स्टाफ का विवरण

क. सं.	नाम तथा पदनाम	आयु	योग्यता	नियुक्ति की तारीख	वेतनमान	वर्तमान वेतनमान	महंगाई तथा डाक भत्ता
1	2	3	4	5	6	7	8

7. पिछले तीन वर्षों के दौरान सेवासियों या टनय लाभग्राहियों का विवरण

वर्ष	12 वर्ष से कम	12 से 18 वर्ष	18 से अधिक	प्रति लाभग्राही पर औसत मासिक व्यय
	पुरुष महिला	पुरुष महिला	पुरुष महिला	
1	2	3	4	5

1	2	3	4	5	6	7	8
---	---	---	---	---	---	---	---

20.....

20.....

20.....

8. क्या संस्था का अपना भवन है या किराये पर चल रही है

9. पिछले तीन वर्षों के दौरान आय एवं व्यय का विवरण

आय	20.....	20.....	20.....	20.....	20.....	20.....
----	---------	---------	---------	---------	---------	---------

गैर आवासीय

आवासीय

(i) भारत सरकार (विभाग का उल्लेख करें)

(ii) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (विभाग का उल्लेख करें)

(iii) दिल्ली नगर निगम

(iv) नई दिल्ली नगर निगम पालिका परिषद्

(v) दिल्ली राज्य समाज कल्याण सलाहकार बोर्ड

(vi) अन्य स्रोत (यदि कोई हो) (नाम बतायें)

(5) लाभग्राहियों से शिक्षण तथा प्रशिक्षण शुल्क

(6) व्यावसायिक प्रशिक्षण कक्षाओं के उत्पादों से बिक्री आय

(7) संस्था द्वारा चलाये जा रहे जलपान गृहों अथवा अन्य सेवाओं की बिक्री आय (यदि कोई हो)

- (8) सांस्कृतिक गतिविधियों से आय जैसे:- प्रदर्शनी, नाटक, वैराइटी शो इत्यादि
 (9) भवन किराया, यदि कोई हो,
 (10) अन्य कोई साधन (उल्लेख करें)

कुल आय

II	सामान्य रखरखाव पर खर्च	गैर आवासीय	आवासीय
1.	संवासियों का भोजन	2000	2000
2.	संवासियों का वस्त्र एवं बिस्तर		
3.	शिक्षा जिसमें पुस्तकों स्टेशनरी की खरीद तथा स्कूल फीस इत्यादि सम्मिलित है		
4.	पुस्तकालय के लिये पुस्तकों, पत्रिकाओं की खरीद		
5.	औद्योगिक या व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिये कच्चा माल		
6.	खेलकूद का सामान		
7.	कर्मचारियों का वेतन एवं भत्ते		
8.	कर्मचारियों सदस्यों का भविष्य निधि में अंशदान		
9.	दवाइयाँ		
10.	जल एवं विद्युत प्रभार		
11.	कार्यालय डाक तथा स्टेशनरी, खेल-कूद सामान की खरीद		
12.	दूरभाष प्रभार, यदि कोई हो, वाहन प्रभार		
13.	गर्म एवं ठंडा जल प्रभार		
14.	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के लिए वर्दी इत्यादि		
15.	व्यय का अन्य कोई मद जिसका उल्लेख नहीं है		
	नियमावली के नियम 3 (ख) (i) तथा (ii) में व्यय का अनुमोदित व्यय		
	कुल व्यय		

10. पिछले तीन वर्षों के दौरान आवासीय भाग / संस्था के होस्टल में संस्था के खर्चों पर पूर्णतया अनुरक्षित संवासियों का विवरण

वर्ष	12 वर्ष से कम		12 से 18 वर्ष		18 से अधिक		प्रति लाभग्राही पर औसत मासिक खर्च
	पुरुष	महिला	पुरुष	महिला	पुरुष	महिला	
1	2	3	4	5	6	7	8
2000							

11. रखरखाव अनुदान की राशि

- (क) गतिविधियों की गैर आवासीय सेवाओं के लिये.....
 (ख) आवासीय भाग के लिये.....
 कुल.....

12. संलग्न दस्तावेजों की सूची

- पिछले वर्ष के लेखों का लेखापरीक्षित विवरण
- पिछले वर्ष स्वीकृत रुपयों के अनुदान के संबंध में अनुप्रयोजन प्रमाणपत्र
-
-
- सामान्य अभ्युक्ति, यदि कोई हो

घोषणा

मैं..... (नाम)..... (पदनाम) एतद्वारा घोषणा करता हूँ कि उपरोक्त दी गई सूचना मेरी जानकारी और विश्वास के अनुसार सही है। अनुदान यदि स्वीकृत हो तो उसे संस्था की आवासीय गतिविधियों के रखरखाव पर खर्च किया जाएगा।

मैं एतद्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, नियमावली 2008 द्वारा समाज कल्याण संस्थाओं / संगठनों को अनुदानों के अर्न्तगत विनिर्दिष्ट सेवा शर्तों को स्वीकार करने की भी घोषणा करता हूँ।

हस्ताक्षर.....
पदनाम.....

प्रपत्र-II

समाज कल्याण विभाग से आवर्ती / रखरखाव अनुदान के लिए आवेदन
राजकीय लेडी न्वाइस स्कूल परिसर, दिल्ली गेट, नई दिल्ली-110002
तथा

महिला एवं बाल विकास विभाग
1-केनिंग लेन, के. जी. मार्ग, नई दिल्ली-110001
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार

वित्तीय वर्ष.....

1. (क) संस्था का नाम
(ख) स्थान एवं पूरा पता
(ग) मूल निकाय का नाम एवं पता यदि कोई हो
2. (क) स्थापन की तारीख
(ख) सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के अधीन पंजीकरण की तारीख तथा पंजीकरण संख्या
(ग) मूल निकाय की स्थापना की तारीख
(घ) सोसायटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के अधीन मूल निकाय के पंजीकरण की तारीख तथा पंजीकरण संख्या
3. शासी / प्रबंध निकाय का गठन (कृपया गठन की प्रति अथवा आवेदक संस्था के सदस्यों एवं पदाधिकारियों की सूची संलग्न करें)
4. संस्था लक्ष्यों एवं उद्देश्यों का संक्षिप्त विवरण तथा संस्था की वर्तमान गतिविधियाँ
5. क्या सेवा समस्त जातियों एवं धर्मों के लिए खुली है

6. पिछले तीन वर्षों के दौरान संस्था द्वारा प्राप्त अनुदानों का विवरण:-
टीप:- आवर्ती तथा गैर-आवर्ती अनुदानों का पृथक-पृथक उल्लेख करें

साधन 1	प्रस्ताव तथा राशि 2	प्रस्ताव तथा राशि 3	प्रस्ताव तथा राशि 4
	(क) भारत सरकार (विभाग का उल्लेख करें)		
	(ख) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (विभाग का उल्लेख करें)		
	(ग) दिल्ली नगर निगम		
	(घ) नई दिल्ली नगर पालिका परिषद्		
	(इ) दिल्ली राज्य समाज कल्याण सलाहकार बोर्ड		
	(च) अन्य स्रोत (यदि कोई हो तो) (नाम बतायें)		

7. क्या उपरोक्त समस्त अनुदान पूर्णतया प्रयुक्त किये जा चुके हैं तथा अनुप्रयोग प्रमाणपत्र अनुदान प्राधिकारियों को प्रस्तुत किए जा चुके हैं (विवरण दें)

8. गैर आवर्ती अनुदान की राशि

1	कुल अनुमानित लागत 2	वांछित अनुदान की राशि 3
(1)	नए भवन का निर्माण	
(2)	वर्तमान भवन में बढ़ोतरी / परिवर्तन / मरम्मत	
(3)	औद्योगिक व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए संयंत्र तथा मशीनरी की खरीद	
(4)	चिकित्सा सर्जिकल या अन्य विशेष उपकरण की खरीद	
(5)	सामान्य उपकरण, फर्नीचर, मोटर वाहन की खरीद हेतु	
(6)	विद्युत संस्थापन या जल-आपूर्ति प्रबंध	
(7)	अन्य उद्देश्य यदि कोई हो, उद्देश्य का उल्लेख करें।	

कुल

9. यदि मद 8 (1) या (2) के अधीन भवन अनुदान की आवश्यकता है निम्नलिखित आगामी सूचना प्रस्तुत की जाए:-

- (1) क्या संस्था के पास प्रस्तावित नए भवनों के निर्माण हेतु अपनी भूमि है / दीर्घकालिक पट्टे की शर्तों पर भूमि है (प्रमाण प्रस्तुत करें)
- (2) क्या इस समय संस्था का अपना भवन है या किराये के भवन पर है।
- (3) भुगतान किया गया मासिक किराया, यदि कोई हो
- (4) कुल फर्श का क्षेत्र
- (5) कुल आच्छादित क्षेत्र
 - (i) कार्यालय तथा भण्डार
 - (ii) शयनागार
 - (iii) रसोईघर
 - (iv) शौचालय तथा स्नानघर

- (6) नए भवन के प्रस्तावित निर्माण का औचित्य क्या है।
- (7) वर्तमान भवन के महत्वपूर्ण प्रकृति के प्रस्तावित परिवर्धन/परिवर्तन का औचित्य क्या है ?
- (8) क्या प्रस्तावित नये निर्माण या परिवर्तन / परिवर्तन की रूपरेखा तथा अनुमान तैयार किया गया है तथा सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदित किया जा चुका है
- (9) अनुमोदित रूपरेखा तथा अनुमानों की प्रति आवेदन पत्र के साथ संलग्न की जानी चाहिये
- (10) संकर्म की कुल अनुमानित लागत क्या है ?
- (1) अनुदान की राशि जिसके लिये आवेदन किया गया
- (11) संस्था प्रस्ताव में सम्मिलित व्यय की बकाया स्थिति को पूरा करने का क्या प्रस्ताव करती है ?
- (10) यदि अनुदान मद संख्या (3) से (7) के अधीन मशीनरी तथा उपकरण की खरीद हेतु वांछित है, निम्नलिखित आगामी सूचना प्रस्तुत की जाए।

क्रं.	मद	वर्तमान स्टॉक की स्थिति (यदि कोई हो)	खरीदी जाने वाली मात्रा या संख्या	अनुमानित	उद्देश्य जिसके लिए अपेक्षित है
1	2	3	4	5	6
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					

10. अनुदान की राशि जिसके लिए आवेदन किया.....रुपये
10. संस्था प्रस्ताव में सम्मिलित व्यय की बकाया स्थिति को पूरा करने का प्रस्ताव कैसी करती है ?
11. क्या राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सरकार / दिल्ली प्रशासन द्वारा समान उद्देश्य के लिए अनुदान दिया गया है ?
12. यदि उपरोक्त (12) का उत्तर सकारात्मक हो तो निम्नलिखित विवरण दें:-
- (क) अनुदान की राशि
- (ख) दिये गये अनुदान की तारीख
- (ग) अनुदान से खरीदी गई सम्पत्ति का विवरण प्रस्तुत करने की तारीख
- (घ) क्या वह अभी भी चालू स्थिति में है

- (इ) यदि वह ठीक स्थिति में हो तो इस प्रस्ताव के लिए पूर्ण औचित्य प्रस्तुत करें
 (च) यदि ठीक स्थिति में न हो तो इसके निपटान का विवरण दें।
13. क्या पिछले 3 वर्षों के दौरान मद 6 में उल्लिखित विभिन्न प्राधिकरणों से प्राप्त गैर आवर्ती अनुदानों के लेखों की लेखा परीक्षा की गई है? यदि ऐसा हो तो प्रत्येक लेखापरीक्षित विवरण की प्रति आवेदन के साथ संलग्न करें।
14. सामान्य अभ्युक्ति, यदि कोई हो.....

घोषणा

मैं..... (नाम)..... (पदनाम) घोषणा करता हूँ कि उपरोक्त दी गई सूचना मेरी जानकारी और विश्वास के अनुसार सही है। मैं यह भी प्रमाणित करता हूँ कि स्वीकृत गैर-आवर्ती अनुदान उसी उद्देश्य के लिये खर्च किया जाएगा, जिसके लिए यह मांगा गया था।

मैं एतद्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, नियमावली 2008 द्वारा समाज कल्याण संस्थाओं / संगठनों को अनुदानों में निहित शर्तों को भी स्वीकार करता हूँ।

हस्ताक्षर.....

पदनाम.....

समाज कल्याण विभाग
 महिला तथा बाल विकास
 राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार

प्रपत्र-III

करार

यह करार दिनांकको (दो हजार.....)

को जो कि एक है, सोसायटी के बीच है जो कि सोसायटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के अर्न्तगत पंजीकृत है, इसके सचिव / अध्यक्ष श्री / श्रीमती.....(पदनाम) के द्वारा किया गया (यहां बाद में अनुदानग्राही के नाम से उल्लिखित) जिसकी व्याख्या में जब तक बाहर न किया गया हो अथवा संदर्भ से विसंगत न हो तो उसे एक भाग के अर्न्तगत कार्यालय में, कार्यकारी, प्रशंसकों तथा विधिक प्रतिनिधियों के उत्तराधिकारी के रूप में सम्मिलित समझा जाएगा तथा यह भारत के राष्ट्रपति समाज कल्याण विभाग/महिला एवं बाल विकास विभाग राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (यहां बाद में सरकार के रूप में उल्लिखित) कार्य करते हुए जिसकी व्याख्या संदर्भ से अन्यथा होने अथवा हटाए जाने पर दूसरे भाग के अर्न्तगत कार्यालय में उत्तराधिकारियों को सम्मिलित तथा सौंपा गया समझा जाएगा।

जबकि अनुदानग्राही ने सामान्य वित्तीय नियम 2005 (यहां बाद में उक्त नियमावली के रूप में उल्लिखित के उपबंध के अधीन जिसकी व्याख्या में तत्सम लागू उसके अधीन जारी कार्यकारी निर्देशों का संशोधन सम्मिलित होगा) या भारत सरकार (वित्त मंत्रालय) के साथ परामर्श से उपराज्यपाल दिल्ली द्वारा तैयार सहायता पैटर्न तथा / या उसके अनुसार निदेशक समाज कल्याण/महिला एवं बाल विकास राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार को संबोधित उद्देश्य के लिये दिनांकके पत्र सं. के द्वारा रुपये (रुपये) के लिए सहायता अनुदान के लिए सरकार को आवेदन किया है।

और जबकि सरकार निम्नलिखित शर्तों के अनुसार उक्त उद्देश्य के लिये रुपये (शब्दों में रुपये) की राशि की स्वीकृति के लिए सहमत हुई है।

अब यह करार निम्नानुसार साक्षी है:-

1. रुपये (शब्दों में रुपये) की राशि सरकार द्वारा अनुदानग्राही को सहायता अनुदान के रूप में दी जाती है, अनुदानग्राही एतद्वारा निम्नानुसार सहमत है:-
 - (i) उपरोक्त उद्देश्य लिये सहायता अनुदान की उपरोक्त राशि प्रयोग करने के लिये।
 - (ii) (संस्था का नाम) तथा उपरोक्त सहायता अनुदान की राशि के लेखों का रखरखाव समूचित रूप से करना तथा उन्हें सरकारी जांच अथवा लेखा परीक्षा के लिये किसी भी समय तैयार रखना जैसा सरकार अथवा उपराज्यपाल राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा इस संबंध में प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट किया गया हो तथा उसमें व्यय का उल्लेख हो, जैसा कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार नियमावली 2008 (यहां बाद में उक्त नियमावली के रूप में उल्लिखित) द्वारा समाज कल्याण संस्थाओं / संगठन को अनुदानों में उपबंधित है।
 - (iii) उक्त सहायता अनुदान में से परिसंपत्तियों विशेष रूप से पूर्ण अथवा महत्वपूर्ण रूप से प्राप्त स्थाई तथा अर्धस्थायी किस्म की परिसंपत्तियों के लेखों का रखरखाव करना तथा उन्हें सरकार को हस्तांतरित करना (मांगे जाने पर) यदि अनुदानग्राही का असितत्व नहीं रहेगा अथवा खण्ड-2 के अधीन सरकार उक्त सहायता अनुदान की राशि के विनियोजन में अनुदानग्राही द्वारा उक्त नियमावली के किसी भी प्रकार के उल्लंघन की स्थिति में सरकार ऐसा निदेश करें।
 - (iv) सरकार को सहायता अनुदान की समस्त अथवा उसका कुछ भाग वापस करना जोकि..... वित्तीय वर्ष के अन्त अग्रयुक्त रह गई हो या किसी अन्य तारीख को जैसा कि सरकार उक्त सोसायटी के अनुरोध पर अथवा अन्यथा रूप से विनिर्दिष्ट करें तथा उक्त वित्तीय वर्ष की समाप्ति के तुरन्त पश्चात अथवा किसी विनिर्दिष्ट तारीख को जो कि इस आशय से संबंधित हो राशि का शेष भाग जो उक्त उद्देश्य के लिये प्रयुक्त किया गया जो उसके संबंधित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगा तथा
 - (v) किफायत से प्रयोग करेगा तथा सहायता अनुदान की राशि के विस्तार का ध्यान रखेगा।

2. आगे इस बात पर भी सहमति है कि उपरोक्त सहायता के पुनर्भगतान हेतु प्रतिभूति के रूप में तथा उपरोक्त शर्तों के निष्पादन में उपरोक्त सहायता अनुदान में से पूर्ण अथवा प्रर्याप्त रूप से प्राप्त समस्त परिसंपत्तियां सरकार के पास रहेंगी।
3. इस करार पर मुद्रांक शुल्क सरकार द्वारा वहन किया जायेगा।

वे गवाह जिन्होंने उपरोक्त के अनुसार तारीख को अपने हस्ताक्षर किये हैं।
भारत (सरकार) के लिए तथा उसकी तरफ से ग्राण्टी के लिए तथा उसके तरफ से

हस्ताक्षर.....

हस्ताक्षर.....

पदनाम.....

पदनाम.....

साक्षी

1. हस्ताक्षर.....
नाम.....
पूरा पता.....

हस्ताक्षर.....
नाम.....
पूरा पता.....

2. हस्ताक्षर.....
नाम.....
पूरा पता.....

हस्ताक्षर.....
नाम.....
पूरा पता.....

फार्म-IV बंधपत्र

सर्वविदित हो कि हम..... (पदनाम) सोसायटी
..... जो कि सोसायटी
पंजीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का 21) के अर्न्तगत पंजीकृत सोसायटी है जिसका कार्यालय
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में स्थित है (स्थान)
जिसे इसके पश्चात आभारी कहा गया है, सचिव समाज कल्याण / महिला एवं बाल विकास राष्ट्रीय
राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के माध्यम से भारत सरकार के राष्ट्रपति (जिसे इसके पश्चात सरकार
कहा गया है, जिस अभिव्यक्ति में जब तक बाहर न किया गया हो संदर्भ से विसंगत न हो इसमें
उसके उत्तराधिकारी तथा निर्धारितों को शामिल माना जायेगा) के प्रति बाध्य करते हैं जिसकी राष्ट्रपति
की माँग पर पूर्ण रूप से भुगतान के लिए इन दस्तावेजों के माध्यम से र्वय को उत्तराधिकारियों या
निर्धारितों को बाध्य किया गया था, बिना किसी आपत्ति के भुगतान किया जायेगा।

वर्ष दो हजार के माह के दिन को हस्ताक्षरित
जबकि आभारी के अनुरोध पर सरकार ने समाज कल्याण / महिला एवं बाल विकास निदेशक राष्ट्रीय
राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के दिनांक के आदेश संख्या
(जिसे इसके पश्चात संस्वीकृति पत्र कहा गया है) जो इन दस्तावेजों का प्रमुख भाग है तथा जिसकी
एक प्रति इस बंध पत्र के परिशिष्ट-क के रूप में

इसके साथ संलग्न है, के अनुसार आभारी कोरुपये (.....
..... रुपये केवल) अनुदान प्रदान करने के लिए सहमत है जिसमें से आभारी ने यहां इसके उपरान्त
दी गई शर्तों तथा पद्धति से जिसे आभारी ने करना स्वीकार किया है, बंध पत्र के निष्पादन की शर्त
पर आभारी नेरुपये (.....रुपये) स्वीकार कर लिया है।

अब उपरोक्त लिखित की शर्त यह है कि यदि आभारी संस्वीकृति पत्र की सभी शर्तों को पूरा
तथा अनुपालन करता है तो ऊपर लिखित बंध पत्र या दायित्व निरस्त हो जायेगा तथा निष्प्रभावी
होगा। परन्तु अन्यथा रूप में यह पूरी क्षमता तथा अधिकार से प्रवृत्त होगा।

सरकार इन दस्तावेजों पर देय स्टाम्प का व्यय, वहन करने पर सहमत है।

जिसके साक्ष्य रूप में इन दस्तावेजों पर उपरोक्त दिन में आभारी के तरफ से आभारियों की सरकारी
निकाय द्वारा पारित दिनांक के संकल्प के अनुसरण में हस्ताक्षर किया गया।

आभारी की तरफ से तथा उसके लिए
हस्ताक्षर एवं पदनाम

साक्षी

1.
(नाम और पता)
2.
(नाम और पता)

महिला एवं बाल विकास विभाग
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
1-केनिंग लेन, के. जी. मार्ग, नई दिल्ली-110001

सं0फा0 ()/डीओ/ ()/जीआईए/डीएसडब्ल्यू/07-08/

दिनांक

सेवा में,

आहरण एवं वितरण अधिकारी (मुख्यालय)
महिला एवं बाल विकास विभाग,
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
केनिंग लेन, के. जी. मार्ग,
नई दिल्ली-110001

विषय: समाज कल्याण संस्थानों / संगठनों के लिए दिल्ली अनुदान नियमावली 1975/देखभाल एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों के कल्याण के लिए स्कीम के अर्न्तगत वर्ष के लिए
.....के (संस्थान का नाम और पता) सहायता अनुदान।

महोदय,

मुझे उपरोक्त संस्थान की वित्त वर्ष में अपनी परियोजना / संस्थान
चलाने के लिए सचिव, समाज कल्याण एवं महिला एवं बाल विकास विभाग की संस्वीकृति.....
रुपये व्यय करने के लिए पहली दूसरी तथा (या) तीसरी सहायता अनुदान किस्त प्रदान करने की सूचना देने का निर्देश हुआ है।

2. उपरोक्त स्कीम समाज कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अनुमोदित है तथा यह अनुदान इसी स्कीम के अनुसार अनुमोदित है।
3. इस अनुदान के खरीदे गये सामान / मद को सचिव समाज कल्याण विभाग दिल्ली सरकार के पूर्वानुमोदन / सहमति प्राप्त किए बिना गिरवी / विक्रय नहीं किया जायेगा। इस सामान / मद को इस विभाग द्वारा स्वीकृति / अनुमोदित उद्देश्य के अलावा अन्यथा रूप में प्रयोग नहीं किया जायेगा।
4. सहायता अनुदान के इस राशि का समझौता ज्ञापन / सहमति बंध पत्र विभाग तथा संस्थान / संगठन के बीच निष्पादित हो चुका है तथा प्राप्त करके फाइल में रखा गया है।
5. वर्ष की अप्रयुक्त अनुदान राशि, यदि कोई है को..... में प्रयुक्त करने के लिए आगे बढ़ाया जा सकता है।

6. यदि दिल्ली सरकार संतुष्ट है कि स्वीकृति / प्रदत्त सहायता अनुदान अनुमोदित उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा रहा है या फिर इसकी कुछ राशि चालू वित्त वर्ष में अप्रयुक्त हो, प्रतीत होती है, तो दिल्ली सरकार सहायता अनुदान की अगली किस्त रोक सकती है तथा सहायता अनुदान राशि को प्रवर्तन भूमि राजस्व के माध्यम से समस्त या आंशिक राशि की वसूली कर सकती है।
7. उपरोक्त सहायता अनुदान राशि प्रदान किए जाने का खर्च वित्त वर्ष के लिए सहायता अनुदान अंशदान (गैर योजना) मुख्य शीर्ष '2235 ए-2 (1) (6) (1) से घटाया जायेगा।
8. इस आशय का प्रमाण पत्र कि पिछले वर्ष प्रदान किया गया सहायता अनुदान उस वित्त वर्ष में पूर्ण तथा प्रयोग किया जा चुका है तथा अप्रयुक्त शेष अनुदान राशि को चालू वित्त वर्ष में प्रदान की जाने वाली अनुदान राशि में समायोजित कर ली गई है।
9. यह संस्वीकृति वित्त विभाग / सचिव, समाज कल्याण एवं महिला व बाल विकास विभाग, दिल्ली सरकार का अनुमोदन उनके यू0 ओ0 संख्या.....द्वारा प्राप्त होने पर जारी की जा रही है।
10. सहायता अनुदान आपके बचत खाता संख्या.....(बैंक का नाम और पता)जिसका आई0एफ0एस0कोड संख्या.....है आर0टी0जी0एस0 के माध्यम से अन्तरित किया जायेगा।
11. आवास परिसर में समुचित सफाई रखें तथा इन नियमों / स्कीम के अनुसार लाभ प्राप्त करने वाले को सभी अपेक्षित सुविधाएं प्रदान की जाएं। संस्थान / परियोजना का एक बोर्ड किसी स्पष्ट स्थान पर लगाया जाए जिसमें उल्लेख हो कि यह समाज कल्याण एवं महिला व बाल विकास विभाग से प्राप्त सहायता अनुदान से चलाया जा रहा है।
12. महालेखा निरीक्षक द्वारा पिछले वर्षों का निरीक्षण संकलित कर लिया गया है।
13. संस्था द्वारा एक प्रमाण पत्र जमा कराया जायेगा कि दिल्ली अनुदान नियमों / योजना का पालन पूरी ईमानदारी से किया जायेगा तथा इसका उल्लंघन नहीं किया जायेगा। संस्था के द्वारा जिस अनुदान के लिए आवेदक किया गया है कर्मचारियों, पद तथा वस्तुओं / कार्यक्रम / परियोजना की अग्रिम संस्वीकृति निदेशक, समाज कल्याण / महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा प्राप्त कर ली गई है।

भवदीय

वरिष्ठ अधीक्षक (आ0स0अनु0)
महिला बाल विकास विभाग

**DEPARTMENT OF SOCIAL WELFARE
AND
DEPARTMENT OF WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT
NOTIFICATION**

Delhi, the 5th December, 2008

F.No. 17/DG/Notification/VAC/DWCD/08-09/30496-535/F.No. 73(46)68—75/DSW- In supersession of Delhi Grants to the Social Welfare Institutions/Organizations Rules, 1975 notified vide the erstwhile Delhi Administration Notification No.F 19(33)/65-Dev. Dated the 20th September, 1966, the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi, hereby makes the following rules to regulate the payment of Grants-in-aids to the voluntary Social Welfare Institutions/Organizations engaged in Social Welfare work with in the National Capital Territory of Delhi.

1. Short title, commencement and applicability-
 - (I) There rules may be called 'The Grants to Social Welfare Institutions/Organizations National Capital Territory of Delhi Rules,2008
 - (II) These rules shall come into force at once.
 - (III) Applicability :
 - (a) These rules shall not apply to the small discretionary grants to needy individuals for which separate rules already exist and to those institutions/organizations which are not situated in the National Capital Territory of Delhi.
 - (b) Under these rules, Grants-in-Aid shall be sanctioned only to the institutions/organizations or its parent body which have been registered under the Societies Registration Act, 1860 (XXI of 1860) or the Trust Act, 1882 (2 of 1882).This will, however, not apply to institutions specially created under enactment of Parliament or under the orders of Government of National Capital Territory of Delhi.
2. Classification and purposes of Grant : The grants to be sanctioned under these rules shall be classified as under:
 - (a) Grants for items of non-recurring expenditure-
 - (i) Construction of new building or for carrying out additions/ alterations of a substantial nature in the existing building of an institution;
 - (ii) for the purchase of general equipment and furniture;
 - (iii) for the purpose of plant and machinery for industrial and vocational training.
 - (iii) for the purchase of medical or surgical appliances other than minor items of recurring nature;
 - (iv) for electric installation or arrangements for supply of water including improvements and extension thereof.
 - (b) Grants for items of recurring expenditure-
 - (i) for the general maintenance of inmates including their dieting, clothing, refreshments, medical and education;

- (ii) for the purchase of books, stationery and other educational material of the inmates;
- (iii) for the purchase of books, periodicals, and news papers for the institution's library;
- (iv) for the purchase of raw material for industrial and vocational training of inmates;
- (v) for administrative expenditure to voluntary organizations for ensuring certain minimum staff structure and qualified personnel to improve their effectiveness and expand their activities.

Provided that the grant shall not exceed twenty five percent of approved administrative expenditure on pay and allowances of the personnel of the voluntary organization concerned.

- (vi) Subject to the guidelines of the Government of India, the schemes, which are partially funded by the Government of India and partially by the Government of National Capital Territory of Delhi with certain contribution from the NGO.
 - (vii) for the purchase of games and sports materials
 - (viii) for the purchase of medicines and minor appliances/equipment;
 - (ix) for expenditure in contingencies such as building rent, electric and water charges, hot and cold weather charges, postage, telephone charges, conveyance charges, liveries and petty periodical repairs of building including white washing of the walls and painting of the doors etc;
 - (x) any other unforeseen items the expenditure on which is incurred with the prior approval of the Government of National Territory of Delhi.
- (c) The Grant-in-Aid on recurring expenditure shall be provided to the extent of not more than ninety percent of the total expenditure on salaries and allowances and there recurring establishment and office expenses.
- (d) Notwithstanding anything stated above, the Government of National Territory of Delhi (hereinafter called " the Government ") may release fixed grants under Public-Private Partnership, Bhagidari or any such initiative as per approved Plan Scheme.

3. Quantum of Grants-

(a) **Grant of items of non-recurring expenditure -**

- (i) Grants for capital expenditure in respect of new construction of buildings, additions and alterations to the existing buildings or for purchase of machinery and equipment etc, shall not exceed seventy five percent of the total expenditure involved. In case, an institution receives free, any item of equipment of building, its value shall be assessed and grant for purchase of equipment of building shall be based on the reduced amount. The estimates of the cost of construction of the building shall be subject to the approval of Public work Department of Government of National Territory of Delhi. A copy of each of site-plan, of the proposed building and estimated cost of construction shall be submitted to Public work Department, Government of National Territory of Delhi;

- (ii) Fifty percent of the grant for building shall be released at the outset before the commencement of the work and the recent fifty percent shall be released at the time when the building is declared fit for occupation. This second installment of grant shall be released only after Public work Department has certified that the work as been carried out according to plan, and the overall expenditure has not been less than the estimated cost for which the Government has accorded its approval for the purpose of grant;

- (iii) In case of non-recurring Grant-in-aid for the construction of building or for carrying out Additions / alterations of substantial nature in the existing building of an institution, the sanctioning authority must consider invoking the provisions of rule 209(6) (vi) of the General Financial Rules, regarding the ownership issue of the building which provided as under:-

“The sanctioning authority, while laying down the pattern of assistance, may decide whether the ownership of the building constructed grant-in-aid may vest with Government or the grantee Institution or Organization. Where the ownership is vested in the Government, grantee Institution or Organization may be allowed to occupy the building as a lessee. In such cases suitable record of details of location, cost, name of lessee and terms and conditions of lease must be maintained in the records of the granting Ministry or Department. In all cases of building constructed grant-in-aid, responsibility of maintenance of such building should be laid on the grantee Institution or Organization.

- (b) Grant for item of recurring expenditure -

- (i) The grants for recurring expenditure for maintenance of non-residential institutions shall not exceed ninety percent of the total expenditure of approved items in case of the institutions for physically and mentally handicapped persons and the other institutions;

Provided that the remaining share of the expenditure is met by the institutions from the fund raised by it through subscriptions and donations, other miscellaneous receipts. The institution shall provide at least ten percent funds its own funds and not from the grant from any Government bodies;

- (ii) The grant for recurring expenditure for maintenance of residential institutions shall be limited to ninety percent of the total expenditure incurred on approved items or rupees five hundred only per inmate per month or as may be revised by the Government, from time to time, whichever is less. The quantum of grant-in-aid payable to the institution shall be calculated for month's average number of inmates maintained by the institution during the previous financial year;
- (iii) The Department of Social Welfare and Woman and Child Development, Government of National Territory of Delhi, shall examine the account of each institution for each year to ascertain full utilization of the amount of grant-in-aid for the purpose for which it was granted, and amount, if any, remaining un-utilized shall be recoverable from the institution or carried forward as the case may be. Grant-in-aid less than rupees one lakh, shall be audited by the Internal Audit of Department of Social Welfare and

Women and Child Development of the Government or in case of more than rupees one lakh, it shall be audited by the Examiner Local Fund Accounts of the Government of National Territory of Delhi

NOTE: Only such account of grant would be deemed to have been utilized as is found payable in accordance with rule 3(b) (i) and (ii) above.

4. The amount of grant perceived in rule 3 of these rules represent the maximum grants which may be sanctioned by the Government and no institution shall, as a might of right, be entitled to claim the maximum amount of grant permissible under that rule.
5. The police of the Government is to make the grantee institution gradually self-sufficient in their finance, and with this end in view, the quantum of grant to be granted to an institution may be reviewed every third year. Any portion of the grant found to be misused or unutilized during the year, shall be recoverable from the institution under rule 3(b) (iii).
6. Grants under these rules shall not be granted for meeting any previous liabilities or bad debts.
7. Manner of payment- Grants-in-aid under these rules may be released at such intervals and in such installments not exceeding three as may be decided by the Secretary of the Social Welfare and Women and Child Development Department.
8. Application for Grant-(I) Application for grants for recurring or non-recurring expenditure under these rules shall be submitted to the 'Director of Social Welfare/ Director of Women and Child Development Department of Government of National Territory of Delhi in the forms appended to these rules latest by 30th September each year. These applications will be submitted by NGOs after an advertisement released by the Deptt during the month of May & June in the Head Quarter. An inspection of the project run by the NGO concerned will be carried out Distt .Officer/CDPO/WO/any other officer (s) from the Head Quarter, as directed by Joint Director concerned. Inspection report in prescribed proforma under relevant application GIA scheme will be submitted to the Head Quarter within one week from the date of making the application to the officer concerned. These cases shall then be processed by Voluntary Action Cell before GIA Committee comprising the following:-

Director, Social Welfare/WCD	Chairman
Join Director Social Welfare/WCD	Member
Sr. Acctts. Officer, Social Welfare/WCD	Member
Superintendent, VAC	Member-Secretary

Sanctioning authority – Secretary, Social Welfare/WCD is competent to sanction GIA upto Rs. 5.00 Lac subject to conditions as prescribed under General Financial Rules and t he institutions issued by the Financial Deptt. from time to time.

Financial Department concurrence – When GIA exceeds from Rs. 5.00 Lac, the cases will be referred to Financial Department, Govt. of NCT of Delhi for approval/ sanction as per manner pf payment specified under Delhi Grant Rules

In addition to the information prescribed in the Performa, the following documents shall accompany the application:-

- (i) audited statement of accounts for previous financial year;
 - (ii) a utilization certificate in respect of grants received during the previous year;
 - (iii) approved estimate of receipts and expenditure for the current year;
 - (iv) a brief note on the programme of activities for the year;
 - (v) activity-wise performance report for the last year;
- (2) Application for grants for building shall be accomplished by the approved plans and estimates together with details regarding the availability of building site and proof regarding the capability of the institution to raise the matching contribution from its own resources. Similarly, applications for grants for the purchase of equipment shall contain complete details of the equipment proposed to be purchased together with full justification, estimates of cost and the existing stock position.

Any suppression of facts, misstatement and misleading information furnished by the institution/ grantee to the Department of Social Welfare/ Women and Child Development Department shall, beside such action as may be deemed appropriate by the Department/Government, shall render the institution ineligible for further grants and also make the institution liable to refund the grant obtained on such false statements or misrepresentation.

9. Before the grant is sanctioned, the institution/ organization shall satisfy the Government that its aims, objects and financial condition has been satisfactory during the proceeding three years. It shall be open for inspection by the Department of Social Welfare and Women and Child Development, or by any other officer, as may be authorized in this behalf by the Director (Social Welfare/ Women and Child Development) or by the Government.

10. BOND- 1. Before a grant is released, the members of the executive committee of the grantee institution shall execute bonds in a prescribed format binding themselves jointly and severally to :-

- (a) abide by the conditions of the grant-in-aid by the target dates, if any, specified therein;
- (b) not to divert the grants or entrust execution of the scheme or work concerned to any other institution(s) or organization(s); and
- (c) abide by any other conditions specified in the agreement governing the grant-in-aid

2. In case, the grantee fails to comply with the conditions or commits breach of any conditions of the bond, the signatories to the bond shall be jointly and severally liable to refund to the President of India, the whole or a part amount of the grant with interest at ten percent per annum thereon or the sum specified under the bond. The stamp duty on such bond shall be borne by the grantee institution concerned.

11. The organization shall confirm in writing that the conditions contained in the sanction letter are acceptable to it.
12. The organization shall not obtain grant for the same purpose from any other source, including Government.
13. The institution/organization may make appointment of staff as may be necessary for discharge of its functions properly and effectively.
14. The institution/Organization shall carry out such suggestion for improvement in its working as a Director of Social Welfare/ Women and Child Development Department Government of National Territory of Delhi may, from time to time, make.
15. The institution shall exercise all possible economy in its working especially in respect of its expenditure out of grant. The grant shall be subject to the condition that the house rent allowance, traveling allowance, daily allowance and other similar allowance should be so regulated as not to exceed the corresponding allowance sanctioned to the Government employee from time to time by the Government.
16. The institution shall be open to all citizens of India without any distinction of caste, creed, religion, colour, etc.
17. The grant, if not actually released may be reduced, withheld or withdrawn in case the Director of Social Welfare/ Women and Child Development is satisfied that there has been breach or non-fulfillment of any of the condition laid down in these rules.
18. The assets created by the institution out of the amounts received as grant-in-aid from the Government of India, the Delhi State Social Welfare Advisory Board or the Government of National Capital Territory of Delhi shall not be transferred, sold, mortgaged or otherwise disposed off, without the prior approval of the granting authority. The Government shall be incorporated as the co-owner for all assets.
19. The grantee shall maintain a separate account in respect of the grant. The accounts shall remain open for inspection to the representative of the Department/Government including the Controller and Auditor General of India. At the end of the year, the organization shall get the accounts of the grants duly audited and supply copies of the following accounts in respect of the grants sanctioned:-
 - (a) the Receipt and Payments Accounts;
 - (b) the Income and Expenditure Accounts;
 - (c) the Balance Sheet
 - (d) utilization certificate; and
 - (e) Consolidated accounts of the organization as a whole indicating receipt and payment and income and expenditure of all projects.
- 21 The organization shall maintain a register in the Form GFR 19 of permanent and q semi-permanent assets acquired, wholly or mainly, out of the grant. The register shall remain open for inspection to the representative of the Department/Government. The register shall be maintained separately in respect of

the grant and a copy thereof furnished to the Government along with the audited accounts.

22 All grants shall be subject to the General Financial Rules, 2005 as amended from time to time and shall also be subject to audit by the Comptroller and Auditor General of India/Directorate of Internal Audit of Government of NCT of Delhi/Internal Audit of Social Welfare Department/Women and Child Development Department, as the case may be. The cost of such audit shall be borne by the institution concerned.

23. The grantee institution shall propose a budget for each financial year on the basis of the approved requirements, Head-wise, to the Department of Social Welfare Department/Women and Child Development, Government of National Territory of Delhi, for sanctions, well in advance, but not later than 30th October, for next financial year beginning from 1st April. The budget will be examined and approved by a Committee, duly approved by the Secretary, Social Welfare/Women and Child Development Department. The approved budget shall be communicated to the grantee institution within three months of receipt of the receipt of its proposed budget.

24. Any unspent balance out of the grant shall be refunded by the organization immediately after the close of the current financial year.

25. The institution/organization shall refund the grant, whole or part, to the Government in case the Department is satisfied that the institution /organization is not maintained efficiently or the grant is not utilized for the desired purpose for which it was sanctioned. The Government may initiate any penal action under the appropriate statutory provisions including the Indian Penal Code, 1860 (45 of 1860) and get the institution black-listed.

26. Amounts found recoverable from the grantee under these rules shall be recoverable with interest at the rate of ten percent per annum as arrears of land revenue.

27. In case, the Department/Government is not satisfied with the progress or work of the grantee institution or considers that the sanction is being violated, it reserves the right to terminate the grant-in-aid,

28. These rules have been concurred by the Finance Department vide UO No.FM/06/965 dated 20.10.2006 and 14.3.2008.

**By Order in the Name of the Lt. Governor
Of the National Capital Territory of Delhi.**

DEBASHREE MUKHERJEE, Seey

**APPLICATION FOR RECURRING/MAINTAINANCE GRANT FROM
DEPARTMENT OF SOCIAL WELFARE
Govt. Lady Noyee Social Complex, Delhi Gate, New Delhi-110 002.
AND
DEPTT. OF WOMEN and CHILD DEVELOPMENT
I-Canning Lane, K.G. Marg, New Delhi-110 001
GOVT. OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI**

Financial Year.....

1. (a) Name of the institution.
(b) Location and full address.
(c) Name address of the parent body, if any.
2. (a) Date of establishment.
(b) Registration number and date of registration of the parent body under Societies Registration Act, 1860.

3. Constitution of the Governing/Managing body (Please append a copy of the constitution or any list of the members and office bearers of the applicant institution).

4. Brief aims and objects of the institution/organization and the nature of its current activities.

5. Whether the services are open to all castes and creeds.

6. Details of staff employed:-

SI.No.	Name and designation	Age	Qualification	Date of Apptt.	Pay scale Any	Present pay	Dearness and other allowances
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.

7. Details of inmates or other beneficiaries catered for during the past three years:

Year	<u>Below 12 years</u>		<u>12 to 18 years</u>		<u>Above 18 years</u>		Average monthly expenditure per Beneficiary
	Male	Female	Male	Female	Male	Female	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.

20....

20....

20....

8. Whether the institution has its own building or is housed in a rented building.

9. Statement of income and expenditure during the past three years:

I.				
Income	20.....20.....	20.....20.....	20.....	20.....
	Non Residential		Residential	
(1) Donations and charities				
(2) Interest against fixed deposits, securities or other capital investment (give details)				
(3) Membership and fees subscription.				
(4) Grant-in-Aid				
	(i) Government of India (Mention Deptt.)			
	(ii) Government of NCT of Delhi (Mention Deptt.)			
	(iii) Municipal Corporation of Delhi			
	(iv) New Delhi Municipal Corporation.			
	(v) Delhi State Social Welfare Advisory Board.			
	(vi) Other sources, if any (Give Names)			
(5) Tuition and training fees from beneficiaries				
(6) Sale proceeds from the products of vocational training classes.				
(7) Sale proceeds of cafeterias or other services, If any, run by the institution.				
(8) Income for culture activities such as exhibitions, dramas, variety shows etc.				
(9) Building rents, if any.				
(10) Any other sources not covered (give details)				
				TOTAL INCOME

II. EXPENDITURE ON GENERAL MAINTAINANCE Non residential Residential

1. Dieting of inmates
2. Clothing and Bedding of inmates
3. Education including purchase of books, stationery and school fees etc.
4. Purchase of books periodicals for library, if any.
5. Raw material for industry or vocational training
6. Games and sports material.
7. Staff salary and allowance
8. Contributions to Provident Fund of staff members.
9. Medicines.
10. Water and Electric charges.
11. Office postage and stationary purchase of games and sports material.

12. Telephone charges, if any, conveyance charges
13. Hot and cold water charges.
14. Liveries etc. for class IV staff.
15. Any other item of expenditure not covered
The approved items of expenditure in Rule
3 (b) (i) and (ii) of the Rules (Give details)

TOTAL EXPENDITURE _____

10. Details of inmates fully maintained at express of the institutions in the residential portion/Hostel of the institution during the last three years:-

Year	<u>Below 12 years</u>		<u>12 to 18 years</u>		<u>Above 18 years</u>		Average monthly expenditure per Beneficiary
	Male	Female	Male	Female	Male	Female	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.

20....
20....
20....

11. Amount of maintenance grant applied for:

- (a) for non-residential services of activities.....
- (b) for residential portion.....
- Total

12. List of document enclosed.

- 1) Audited statement of account for the last year.
- 2) Utilization certificate in respect of the grant of Rs.....sanctioned last year.
- 3)
- 4)
- 5) General remarks, if any.....

DECLARATION

I,..... (designation) hereby declare that the information given above is true to the best of my knowledge and brief. The grant, is sanctioned will be spend on the general maintenance of the residential activities of the institution.

I also hereby declare my acceptance of the terms and conditions specified under the Grants to Social Welfare Institutions/Organizations by the Government of National Capital Territory of Delhi Rules, 2008.

SIGNATURE.....

DESIGNATION.....

FORM-II
APPLICATION FOR RECURRING/MAINTAINANCE GRANT FROM
DEPARTMENT OF SOCIAL WELFARE
Govt. Lady Noyce Social Complex, Delhi Gate, New Delhi-110 002.
AND
DEPTT. OF WOMEN and CHILD DEVELOPMENT
I-Canning Lane, K.G. Marg, New Delhi-110 001
GOVT. OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

Financial Year.....

1. (a) Name of the institution.
(b) Location and full address.
(c) Name address of the parent body, if any.
2. (a) Date of establishment.
(b) Registration number and date of registration under Societies Registration Act, 1860.
(c) Date of establishment of the parent body.
(d) Registration number and date of registration of the parent body under Societies Registration Act, 1860.
3. Constitution of the Governing Body/Managing Committee (Please attach a copy of the constitution or any list of the member of the managing body).
4. State briefly the aims and objects and the present activities of the institution.
5. Whether of the services are available to all castes and creeds.
6. Details of the grants received by the institution during the previous three years:-

Note:- Give details of the grants recurring and non-recurring separately.

Source Purpose and Amount	Purpose and Amount	Purpose and Amount
1	2	3

- (A) Government of NCT of Delhi (Mention Deptt.)
(B) Government of NCT of India (Mention Deptt.)
(C) Delhi State Social Welfare Advisory Board
(D) Municipal Corporation of Delhi
(E) New Delhi Municipal Corporation
(F) Other, if any, (Mention above)

7. Have all the above grants been fully utilized and utilization certificates submitted to the granting authorities?
(Give Details)

8. Amount of non-recurring grant applied for:-

Total estimate cost	Amount of grants desired
2	3
1	

1. Construction of new building.
2. Addition /Alteration/reports to existing building.
3. Purchase of plant and machinery for industrial vocational training.
4. Purchase of medical, surgical or other special appliance.
5. For purchase of general equipment furniture, motor vehicle.
6. For electric installation or water-supply arrangements.
7. Other purpose, if any (specify purpose)

Total

9. In case a building grant under item 8 (1) or (2) is desired, the following further information may be furnished:-
- (1) Does the institution own a land for construction of the proposed new buildings/has a land on long lease terms (Produce proof)
 - (2) Does the institution own a building at present or it has a rented building.
 - (3) Monthly rent paid, if any.
 - (4) Total floor area
 - (5) Total covered area
 - (i) Office and Stores
 - (ii) Dormitories
 - (iii) Kitchen
 - (iv) Lavatories and bath room
 - (6) What is the justification for the proposed construction of a new building.
 - (7) What is the justification for the proposed addition/alterations of a substantial nature to the existing building.
 - (8) Have the plan and estimate of the proposed new construction or alterations/additions been prepared and approved by a competent authority.
 - (9) A copy of the approved plan and estimate should be attached to the application.
 - (10) What is the total estimated cost of the works?
 - (1) Amount of grant applied for

(11) How does the institution propose to meet the balance position of the expenditure involved in the proposal.

(12) In case of a grant for purchase of machinery and equipment etc. under item(3) to(7) is desired, the following further information may be given:

(1) Full details and justification of the equipment desired to be purchased/

Position if any	Sl.No. Item be purchased	Present stock	No. or quantity to which	Approximate	Purpose for	Required
	1	2	3	4	5	6
	1					
	2					
	3					
	4					
	5					
	6					
	7					
	8					
	9					
	10					
	Total					

10. Amount of Grant applied for Rs.....

11. How does the institution propose to meet the balance position of expenditure involved on the proposal.

12. Whether any grant for a similar purpose was paid by Government of National Capital Territory of Delhi/Delhi Administration ?

13. In case reply to (12) above is in affirmative, furnish the following details :

- Amount of grant;
- Date of which paid;
- Date of submission of detail of property purchased against in grant;
- Whether that is still in working condition;
- If that is in working order full justification for this proposal may be furnished and;
- If that is not in working order give details of its disposal;

14. Whether the accounts of the non-recurring grants received from various authorities mentioned I in item 6 during the last 3 years been audited? If so, a copy of each of the audited statement of account may be attached to the application.

15. General remarks, if any.

DECLARATION

I,..... (designation) hereby declare that the information given above is true to the best of my knowledge and brief. I also certify that the non-recurring grant, is sanctioned will be spent for the purpose for which it has been asked for also hereby declare my acceptance of the terms and conditions contained in the Grants to Social Welfare Institutions/Organization by the government of National Capital Territory of Delhi Rules 2008.

Signature.....
Designation.....

Department of Social Welfare
Women and Child Development,

Government of National Capital Territory of Delhi.

FORM-III

AGREEMENT

This agreement made in,day of.....200 (Two Thousands.....) BETWEEN.....a society, registered under the Societies Registration Act, 1860 through its Secretary/President Sh./Smt.....(designation) (hereafter caller "the Grantee" which express shall unless excluded by or repugnant to the context, be deemed to include its heirs successors in office, executor's administrators and legal representative and assigns of the one part AND the President of India, acting through the Secretary of the Department of Social Welfare/Women and Child Development, Government of the National Capital Territory of Delhi (hereafter referred to as "the Government" (which expression shall unless excluded by or repugnant to the context, be deemed to include his a successors in office and assigns.) of the other part.

Whereas, the Grantee has under the provision of the General Financial Rule, 2005 (hereafter referred to as the "said Rules" which expression shall include any amendments thereof for the time being in force any executive instructions issued there under) in accordance therewith and/or the Patterns of Assistance formulated by the Lt. Government, Delhi in consulted with the Government of India (Ministry of Finance) applied to the Government, for a grant-in-aid of Rs.....(Rupees only vide letter No.....dated.....addressed to the Director of Social Welfare/Women and Child Development, Government of the National Capital Territory of Delhi for the purpose of.....

NOW THIS AGREEMENT WITNESSES AS FOLLOWS:

1. In consideration of the sum of Rs.....(Rupees.....) only granted by a Government to the Grantee as Grant-in-aid; the Grantee here by agrees:-
 - i. to utilize the above said amount of grant-in-aid for the aforesaid purpose.
 - ii. To keep the accounts of the.....and account of the above said amount of grant-in-aid appropriate from and to subject them to government examination or audit at any time as specified by the Government or any office authorized by the Lt. Governor, Government of the National Capital Territory of Delhi in this behalf bearing expenditure thereof as provided in the Grants to Social Welfare Institutions/Organization by the government of the National Capital Territory of Delhi Rules 2008 (hereafter called "the said Rules")

- iii. To keep account of the assets particularly those of permanent and quasi-permanenature acquired wholly or substantially out of the above said grant-in-aid and to transfer them to the Government on demand in case of grantee cases to exist or the Government under clause 2 so directs in the event of any contravention of the said Rules by the Grantee, in appropriation of the amount of the said grant-in-aid.
 - iv. To refund to the Government all or such part of the amount to grant-in-aid that remains unutilized at the end of the financial year.....or as such other date as the Government may, on the request of the said society or otherwise, specify in this behalf, and to furnish a certificate immediately after the close of the said financial year or the specified date, as the case may be to the effect that the rest of the amount has been utilized for the said purpose and
 - v. To exercise reasonably economy and care in expending t he amount of grant-in-aid.
2. It is further agreed as follow is that, as security for the repayment for the above said grant-in-aid and performance of the afore-said conditions all assets acquired wholly or substantially, out of the above said grant shall remain charged to the Government and the Grantee shall have no right to dispose them off or encumber them in any way or utilize them for purposes other than those referred above. In case the Grantee fails to refund the unutilized amount out of the above said grant-in-aid or in case the Government holds that the grant has not been utilized appropriately and/or for the said purpose the Government shall have the right to stop payment of future instilments of grant-in-aid and/or recover the amount in default as arrears of land revenue or to direct the grantee to transfer to him the assets referred in sub-clause (iii) of clause and on the Grantee failing to do so, to seize such assets in appropriation of t he said grant-in-aid.
3. The stamp duty on this agreement shall be borne by the Government.

In witness whereof the parties have hereinto set their hands on the day and year first herein above written.

For and on behalf of the (GOVERNMENT) if India For and on behalf of the GRANTEE

Signature.....
Designation.....

Signature and designation

Witness:
1. Signature.....
Name.....
Full Address.....
2. Signature.....
Name.....
Full Address.....

1. Signature.....
Name.....
Full Address.....
2. Signature.....
Name.....
Full Address.....

FORM IV

BOND

KNOW ALL BY THESE PRESENTS that WE,the.....
.....(designation) of the....., a Society registered under the Societies Registration Act, 1860
(21 of 1860) and having their office in the National Capital Territory of Delhi at(hereinafter called the
obligors) are held and family bound to the President of India through the Secretary, Social Welfare/Women and Child
Development, Government of National Capital Territory of Delhi (hereinafter called "the Government", which expression
shall, unless excluded by or pungent to the context, be deemed to include his a successors and assigns) in the sum of
Rs.....(Rupees.....)only, well and truly to be paid to the President on deemed and without a demur for which
payment we firmly bind ourselves and our successors and assigns by these presents.

Signed this.....day of....., the year Two thousand.....

Whereas, on the obligors request, the Government has as per Director of Social Welfare/Women and Child Development,
Government of National Capital Territory of Delhi Order No.....dated.....
(hereinafter referred to as the "Letter of sanction") which forms an integral part of these presents and a copy where of its
annexed here to as annexure-A to this Bond, agreed to make in favor of the obligors grant of.....
(Rupees.....) only out of which Rs.....
(Rupees.....) have been received by the obligors on condition of the obligors executing bond in the terms and manner
contained hereinafter and which the obligors have agreed to do so.

Now, the condition of the above written obligation is such that if the obligation duly fulfill and comply with all the conditions
mentioned in the letter of sanction, the above written bond or obligation shall be void and of no effect. But otherwise it shall
remain in full force and virtue.

The Government agrees to bear the stamp duly payable on these presents.

In witness whereof these presents have been signed under the day herein above mentioned on behalf on the obligors pursuant
to the resolution dated.....Passed by the Governing body of the Obligors.

For and on behalf of the obligors
Signature and designation

Witnesses

1.
(Name and Address)
2.
(Name and Address)

**DEPTT. OF WOMEN & CHILD DEVELOPMENT, GOVT. OF NCT OF DELHI,
OLD ITI BLDC. CANNING LANE, K.G.MARG, NEW DELHI-01**

No.F.)/DO()/GIA/DSW/2007-08/

Dated:

To,

The DDO (H.Qr.)
Deptt. of Women & Child Development,
Govt. of NCT of Delhi,
Canning Lane, K.G.Marg,
New Delhi-110 001

Sub: Grant-In-Aid for the year 2005-06 under the 'Delhi Grants to Social Welfare Institutions/Organizations Rules, 1975'/
'Scheme for the Welfare of Children in Need of Care & Protection' in favour of (Name & Address of the
organization)

Sir,

I am directed to convey the sanction of the Secretary, Social Welfare & WCD Deptt. for incurring an expenditure of Rs.....for release of Ist & (or) IInd & (or) IIIrd installment its project. Institution of.....

2. The above referred Scheme is duly approved by the then Ministry of Social Welfare, Govt. of India and this grant is sanctioned according to the same Scheme.

3 The goods items purchased from this grant shall not be mortgaged or disposed off without obtaining prior sanction/approval of the Secretary, Deptt. of Social Welfare, Govt. of Delhi, in writing. These items/goods shall not be utilized for the purposes other than sanctioned/approved by this Deptt.

4. The Agreement and Agreement Bond for this amount of GIA, duly executed in between the Deptt and the organization/institution, have been received and kept on the file.

5. The unutilized grant of the year.....,if any, is permitted to be carried forward for utilization in.....

6. If the Govt. of NCT of Delhi is satisfied that the GIA sanctioned/released is not being used for the approved purposes or some amount of the same is found unutilized during the current financial year. Govt of NCT of Delhi can stop release of further installments of GIA and can recover all or partial amount of the GIA through enforcement or as land revenue.

7. The expenditure on account of release of the above referred amount of Grant-In-Aid will be debited to the Major Head '2235' A2(1)(6)(1) GLA Contribution (Non Plan) for the financial year

8 Certified that the GIA released during the previous year has been utilized completely during that financial year and the left out unutilized amount has been adjusted in the grant being released for the current financial year.

9. This sanction is being issued after receipt of the concurrence of the Financial Deptt/ Secretary, Social Welfare & WCD Deptt., Govt. of NCT Delhi vide their UO No.....

10. The GIA will be transferred to your Saving Bank Account No.....of (name & address of the bank) having IFS Code No.....through RTGS (Real Time Gross Settlement)

11. Proper cleanliness in the home premises be kept and all the required facilities be provided to the beneficiaries according to these Rules/Scheme. A board of the 'Organization/Project be installed at some conspicuous place indicating that it is being run under GIA from the 'Department of Social Welfare, Govt of NCT of Delhi;.

12. Observations of Internal Audit for the previous financial years be complied.

13. The organization shall submit a certificate that provisions of the Delhi Grants Rules/Scheme are being adhered by them in their true spirit and sense and the same are not being violated. The staff, post and the items/project /programme, for which GIA is applied, have prior sanction of the Director, Social Welfare.

Yours faithfully

SENIOR SUPDT. (VAC)
DEPTT.OF WCE.

**APPLICATION FROM FOR INSTITUTIONAL SERVICES FOR WELFARE OF
DESTITUTE CHILDREN UNDER THE SCHEME FOR'
THE WELFARE OF CHILDREN IN NEED OF CARE AND PROTECTION**

1. Name of the Institution selected for providing services for providing services.
2. Address:
3. Copy of the Constitution and the list of the Members of Executive Committee.
4. Date of Registration under Societies Registration Act.
5. Present capacity of Institutional services for children.
6.
 - a) No. of Children at present served.
 - b) No. of children proposed to be admitted now.
7. Age range of children
8. Boys and girls or mixed.
9. Types of children services.
 - a) Destitute Children.
 - b) Delinquent children committed under Court Orders.
10. Types of accommodation.
 - i) Types of building
 - ii) Average floor area allowed
 - iii) Whether cots are used or
Whether children sleep on floor.
11. Name of the services offered.
 - a) Boarding
 - b) Education
 - c) Vocational training
 - d) Recreation
 - e) Case work services
 - f) Medical and
 - g) Other services-nature of rehabilitation services
12. Approach to organization of services
 - a) Through dormitories
 - b) Cottage system.

13. Nature of personnel employed and their training:
 - a) House Mothers
 - b) Dormitory Incharge
 - c) Cook & Helper
 - d) General Education Teachers
 - e) Vocational Instructions
 - f) Case Worker (State qualifications & experience)
 - g) Recreation
 - h) Medical Officers
 - i) Superintendents (State qualifications & experience)
 - j) Any other.
14. Existing level of expenditure (recurring) per child per month:
 - a) Food
 - b) Clothing
 - c) Accommodation
 - d) Bedding
 - e) Health Check-up & Medicine
 - f) Education
 - g) Vocational Training
 - h) Recreation
 - i) Superintendents (State qualifications & experience)
15. Expenditure on salaries pf personnel.
16. Nature of supervision (by paid or voluntary personnel)
17. Capacity of expansion of services
 - a) Accommodation available for taking more children
 - b) No. of additional children that could be provided with services.
18. Assistance received by the organization during last year from;
 - a) Central Government
 - b) State Government
 - c) Central Social Welfare Board
 - d) State Council Welfare Advisory Board
 - e) Private donations
 - f) Any other
19. Copy of the audited statement of accounts for last financial year from;
Also state the average no. of children present per month during the year.
20. Assistance now sought for taking care of additional children
 - a) Recurring assistance
 - b) Initial non-recurring assistance
 - c) Building
21. Amount to be contributed by the organization.
22. Any other information.